

१५८) F.G.A°

दिनांक 21.01.2012 को 11.00 बजे पूर्वाहन् में सचिव, कल्याण विभाग की
अध्यक्षता में झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी, राँची के निदेशक
मंडल की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति:-

1. डॉ. राजीव अरुण एकका, सचिव, कल्याण विभाग सह अध्यक्ष, जे.टी.डी.एस।
2. श्री दीपक सिंह, विशेष सचिव, कल्याण विभाग सह राज्य कार्यक्रम निदेशक, जे.टी.डी.एस।
3. श्री प्रवीण कुमार टोप्पो, आदिवासी कल्याण आयुक्त।
4. श्री कमल किशोर सोन, उपायुक्त, राँची।
5. श्रीमती उमा शशि चटर्जी, निदेशक, समेकित जनजातीय विकास प्राधिकार, पूर्वी सिंहभूम (प्रतिनिधि उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम)।
6. श्रीमती आभा काशी, निदेशक, समेकित जनजातीय विकास प्राधिकार, प० सिंहभूम (प्रतिनिधि उपायुक्त, प० सिंहभूम)।
7. श्री राम सागर उप निदेशक कल्याण, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची (प्रतिनिधि प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर)।
8. श्री बन्दना कुल्लू मेसो पदाधिकारी, खूँटी (प्रतिनिधि उपायुक्त, खूँटी)।
9. श्री इसीडोर सोरेंग, जिला कल्याण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ (प्रतिनिधि उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ)।
10. श्री सोमा सिंह मुण्डा, सहायक निदेशक, झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची (आमंत्रित सदस्य)।
11. श्री गुरुचरण सिंह मुण्डा, आमंत्रित सदस्य।

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सचिव, कल्याण विभाग सह अध्यक्ष, जे.टी.डी.एस. द्वारा बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने का निदेश राज्य कार्यक्रम निदेशक को दिया गया।

उपस्थित सदस्यों के अभिवादन के उपरांत, निदेशक मंडल के बैठक की अध्यक्षता कर रहे सचिव, कल्याण विभाग के निदेशानुसार राज्य कार्यक्रम निदेशक, जे.टी.डी.एस. द्वारा कार्यावली में उल्लेखित बिन्दुओं पर चर्चा प्रारंभ की गई।

कार्यावली संख्या: 1

दिनांक 15.07.2011 को झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी, राँची के निदेशक मंडल की बैठक में निदेशीत बिन्दुओं पर अनुपालन को निदेशक मंडल द्वारा सम्पूष्ट किया गया।

कार्यावली संख्या: 2

कार्यक्रम क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति।

कार्यक्रम क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति पर चर्चा के क्रम में सचिव, कल्याण विभाग सह अध्यक्ष जे.टी.डी.एस. द्वारा निदेश दिया गया कि प्रथम चरण के 330 ग्रामों में सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा

9/2/2012

चलाए जा रहे योजनाओं को Convergence के माध्यम से सभी संबंधित उपायुक्त सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

कार्यक्रम के दूसरे चरण हेतु ग्रामों का चयन प्रथम चरण के कार्यक्रम ग्रामों के बगल में स्थित ग्रामों में से ही किया जाए ताकि प्रथम चरण के ग्रामों का भी Handholding किया जा सके एवं आदर्श ग्राम विकसित करने हेतु शेष कार्यों को भी सुनिश्चित कराया जा सके। नए ग्रामों का चयन भी मार्च, 2012 तक पूर्ण करते हुए इसकी सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही नव चयनित ग्रामों में अन्य विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन योजना बनाकर शुरू कराने का सुझाव दिया गया। जिसमें कल्याण विभाग की योजनाएँ यथा SCA to TSP एवं Article 275 (i) भी शामिल होंगी।

उपायुक्त, राँची द्वारा राँची जिला में स्थित प्रथम चरण के 76 कार्यक्रम ग्रामों में effective Convergence हेतु योजना ली विस्तृत जानकारी दी गई। जैसे :—

1. जिसमें Block level के बैठक में प्रत्येक माह BDO के साथ जे.टी.डी.एस. के एक प्रखण्ड प्रभारी भी भाग लेकर समरयाओं का समाधान करेंगे एवं जिला स्तर पर उपायुक्त को प्रतिवेदन देंगे।
2. Socio-Economic Survey में जे.टी.डी.एस. से संबद्ध FNGO को शामिल करने का निर्णय।
3. प्रत्येक SHG को ₹.10,000/- का अनुदान ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से।
4. कार्यक्रम ग्रामों के BPL एवं APL जर्जर घरों की मरम्मती हेतु सहयोग।
5. कार्यक्रम ग्रामों में Prototype के अंतर्गत लाह योजना का क्रियान्वयन जे.टी.डी.एस. के माध्यम से।

राज्य कार्यक्रम निदेशक सह विषेष सचिव द्वारा कार्यक्रम आच्छादित ग्रामों में SCA to TSP के माध्यम से SHG को आय वृद्धि हेतु Micro Enterprise स्थापित करने के लिए लगभग 3 करोड़ की राशि स्वीकृत करने हेतु किये जा रहे कार्रवाई की जानकारी प्रदान की गई, जो प्रभावी Convergence को सुनिश्चित करेगी।

कार्यावली संख्या: 3

संशोधित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (अक्टूबर, 2011—मार्च, 2012) को निदेशक मंडल द्वारा सर्व सम्मति से बटनोल्लासीकृति प्रदान की गई।

कार्यावली संख्या: 4

कार्यक्रम के द्वितीय चरण में शेष बचे TSP जिलों यथा गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा एवं लातेहार को भी शामिल करने पर निदेशक मंडल ने सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान किया।

कार्यावली संख्या: 5

जाभूक अंशदान के संबंध में।

जाभूक अंशदान के संबंध में प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय प्राधिकृत समिति से पारित करा लिया जाय।

कार्यावली संख्या: 6

जे.टी.डी.एस. कार्यालय को झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के पुराने संग्रहालय भवन में स्थानांतरित करने से पूर्व केबिन कक्ष, शौचालय, फर्श, बिजली कनेक्शन, लाइटिंग व्यवस्था, फोन-इंटरनेट इन्टर कॉम, रंग-रोगण एवं आवश्यक मरम्मति कार्य पर आने वाले अनुमानित खर्च हेतु बजट Re-appropriation करने के प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया। आदिवासी कल्याण आयुक्त द्वारा भवन के रख-रखाव (Maintenance) हेतु एक न्यूनतम राशि के प्रावधान किए जाने के प्रस्ताव पर निदेशक मंडल ने सहमति प्रदान करते हुए इसे भविष्य में सर्व सम्मति से तब कह लेने का सुझाव दिया।

कार्यावली संख्या: 7

जे.टी.डी.एस. में कार्यरत कर्मियों द्वारा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं Stakeholders के साथ समन्वय स्थापित करने एवं कार्यालय कार्य हेतु मोबाईल फोन के इस्तेमाल के विरुद्ध प्रतिपूर्ति को निदेशक मंडल द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।

कार्यावली संख्या: 8

श्री मनोज सिन्हा, उप कार्यक्रम निदेशक को अपर कार्यक्रम निदेशक पद पर प्रोन्नत करने के प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा सर्व सम्मति से सचिव, कल्याण विभाग सह अध्यक्ष जे.टी.डी.एस. को पद सृजन करते हुए इस पद पर प्रोन्नति के लिए निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया। इस हेतु संचिका के माध्यम से आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।

कार्यावली संख्या: 9

अन्य बिन्दु अध्यक्ष की सहमति से।

श्री देवज्योति कुण्ड़े सम्पति सूक्ष्म वित्त पदाधिकारी, जे.टी.डी.एस. (डी.पी.आई.यू.), चाईबासा को राज्य प्रबंधन इकाई, रोंचो ने प्रतिनियोजित किए जाने के आलोक में उनके द्वारा घरेलू सामान को चाईबासा से राँची लाने में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति करने हेतु राज्य कार्यक्रम निदेशक के प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया।

(दीपक सिंह)

विशेष सचिव, कल्याण विभाग

ज्ञापांक / आईफाल-4/५४३१४/१८ दिनांक २५४/३१/०१/१२

प्रति: सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव, कल्याण विभाग